

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 166/ 2026

विमला देवी

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ एवं 3 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – गोविन्द कुमार पाण्डेय

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज कुमार शुक्ला

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्द कुमार पाण्डेय, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री धीरज ओझा और विपक्षी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार शुक्ला को सुना।
2. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने विपक्षी संख्या 2 एवं 3 को ग्राम- मझिलगाँव, तहसील- कुंडा, जनपद- प्रतापगढ़ में स्थित गाटा संख्या 652 एवं 667, जो कि चक मार्ग के रूप में दर्ज हैं, पर किए गए अतिक्रमण को हटाने हेतु निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. उप-जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह सूचित किया है कि निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि विपक्षी संख्या 4 ने भूमि पर अतिक्रमण किया है। इस संबंध में, सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए विपक्षी संख्या 4 के विरुद्ध उ.प्र. राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या टी 202602570104040 दर्ज कर कार्यवाही पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है। लिखित निर्देशों की प्रति अभिलेख पर ग्रहण की गई है।
4. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, उप-जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को उ.प्र. राजस्व

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत दायर वाद संख्या टी202602570104040 की कार्यवाही को, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, किन्तु संबंधित पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए और अल्प अंतराल पर तारीखें निय करतें हुऐ विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक कार्यवाही करने का निर्देश देते हुऐ याचिका को *निस्तारित* किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

9 मार्च, 2026

प्रदीप